

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, बाराबंकी।

पत्रांक-39८४ /14-4-4, दिनांक, बाराबंकी, २३/०९ /2018

सेवा में,

टेलीटरी मैनेजर,
रिटेल भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
गोरखपुर।

विषय:- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० गोरखपुर द्वारा प्रस्तावित ग्राम- भीखरपुर, परगना- सूर्यपुर, तहसील- रामनसेहीघाट, जनपद- बाराबंकी के गाटा संख्या- 179 में असन्द्रा- रामसनेहीघाट (हैदरगढ़- भितरिया) मार्ग पर किमी० 8.00-9.00 के मध्य बायीं पटरी पर रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.066388 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- विशेष सचिव वन एवं वन्य जीव उ० प्र० शासन वन अनुभाग-2 लखनऊ की पत्र संख्या- पी-45/14-2-2018-800(39)/2018 दिनांक 09-04-2018 तथा अपेक्षित संशोधित पत्र संख्या- 967/14-2-2018-800(39)/2018 दिनांक 20-04-2018 एवं मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ० प्र० लखनऊ का पत्रांक- 2963/11-सी-एफ०पी०/यू०पी०/अन्य/25323/2017 दिनांक 12-04-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सूचित करना है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या एफ०न०- 11-268/2014 एफसी दिनांक 11-07-2014 व एफ०एन० संख्या- 11-09/98 एफसी दिनांक 21-08-2014 के आलोक में उ० प्र० शासन वन अनुभाग-2 के पत्र संख्या- पी-45/ 14-2-2018-800(39)/2018 दिनांक 09-04-2018 तथा अपेक्षित संशोधित पत्र संख्या- 967/14-2-2018-800(39)/2018 दिनांक 20-04-2018 द्वारा जनपद बाराबंकी में असन्द्रा- रामसनेहीघाट (हैदरगढ़- भितरिया) मार्ग पर किमी० 8.00-9.00 के मध्य बायीं पटरी पर ग्राम-भीखरपुर, परगना- सूर्यपुर, तहसील- रामसनेहीघाट, जनपद- बाराबंकी के गाटा संख्या- 179 पर भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० गोरखपुर द्वारा विद्वेषित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.066388 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों /प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की गयी है इसके क्रम में उक्त सभी निधियों, भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) की धनराशि तथा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए) अलग-अलग ई-पेमेन्ट के माध्यम से दिनांक 14-10-2015 के बाद से लागू प्रक्रिया के अन्तर्गत भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सम्बन्धित वेबसाइट www.forestsclearnce.nic.in में चालान के माध्यम से ई-पोर्टल के चालान द्वारा जमा करते हुए ई-पेमेन्ट के चालान की रिलिफ के साथ सभी विन्दुओं पर अपनी अनुपालन आख्या सहित सूचना निम्न विन्दुओं पर इस कार्यालय को प्रस्तुत किया जाय। अनुपालन आख्या सभी विन्दुओं पर अलग-अलग अवश्य प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

- 1- वन भूमि के एक्सीलेशन/डी-एक्सीलेशन लेन के निर्माण के लिए वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग हेतु आवश्यक एवं निकास/प्रवेश भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय मार्ग मंत्रालय के द्वारा जारी गाईडलाइन्स दिनांक 24-07-2013 के अन्तर्गत स्वीकृत ले-आउट प्लान के आधार पर होगा।
- 2- सड़क के किनारे के वृक्षारोपण को बिना क्षति पहुँचाये उपयुक्त साइन एवं मार्किंग लगाया जाय जिसमें फ्यूल स्टेशन का लोकेशन अंकित हो।
- 3- फ्यूल स्टेशन के पूरे परिसर में कम दूरी पर (1x1.5 मी०) कम छत्र के वृक्ष का रोपण किया जाय जो बाहरी दीवार से 1.5 मी० के आफसेट पर शुरू होगा जो हरियाली बनाये रखेगा तथा यह फ्यूल स्टेशन के भूमि की आवश्यकता के अतिरिक्त होगा।
- 4- प्रस्तावक एजेन्सी के द्वारा सम्पर्क मार्ग सेप्रेटर, आइसलैण्ड एवं अन्य रिक्त स्थानों पर उपयुक्त वृक्षारोपण किया जायेगा जो क्षतिपूरक वृक्षारोपण (यदि लागू हो) के अतिरिक्त होगा।
- 5- प्रत्यावर्तित किये जाने वाले वन भूमि का क्षेत्रफल किसी भी दशा में 0.066388 हे० से अधिक नहीं होगा।
- 6- इस परियोजना का अनुमोदन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर (नीड बेस्ड) आधारित है।
- 7- प्रस्तावक विभाग द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई० ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या-5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन०पी०वी०) क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौध रोपण निधि



प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation, Fund Management and Planning Authority) में वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी। तदोपरान्त पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक /एन0आई0सी0 के माध्यम से प्राप्त ई-पेमेन्ट के चालान की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या सहित (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण तथा अन्य हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाय तत्पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। (जिसमें जारी करने वाले बैंक का नाम शाखा एवं दिनांक स्पष्ट रूप से अंकित हो) प्रस्तुत किया जाय।

- 8- उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी) तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के Corporation Bank (भारत सरकार का उपक्रम) नई दिल्ली में ऑनलाइन ई-पोर्टल के माध्यम से ई-पेमेन्ट के चालान द्वारा जमा कराया जाय। उक्त निर्धारित धनराशि रू0: **626000X0.066388= 41559** /- (रू0 इक्तालीस हजार पाँच सौ उन्सठ मात्र) जमा कराया जाय तथा उसकी पठनीय शुद्ध प्रति इस कार्यालय को प्रस्तुत की जाय।
- 9- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- 10- प्रस्तावक एजेन्सी से सम्बन्धित नहीं है।
- 11- प्रस्तावक विभाग परियोजना स्थल के आप-पास फ्लोरा (वनस्पति)/फॉना (वन्य जीव) के हानि हेतु जिम्मेदार होंगे। अतः प्रस्तावक विभाग फ्लोरा/फॉना के संरक्षण हेतु हर सम्भव उपाय करेंगे।
- 12- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। किसी अन्य प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा। यदि भूमि के उपयोग में कोई परिवर्तन आवश्यक हो तो, नोडल अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार से अनुरोध किया जायेगा तथा भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- 13- प्रस्तावक विभाग के सम्बन्धित अधिकारी, कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेगा और यदि उक्त व्यक्तियों से वन सम्पदा को कोई क्षति पहुँचती है अथवा पहुँचायी जाती है, तो उसके लिए सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर प्रस्तावक विभाग पर बाध्यकारी होगा।
- 14- उक्त वन भूमि प्रस्तावक विभाग के उपयोग में प्रश्नगत अवधि के अन्दर तब तक रहेगी, जब तक कि प्रस्तावक को उसकी उक्त हेतु आवश्यकता रहे। यदि प्रस्तावक को उक्त वन भूमि अथवा उसके किसी भाग की आवश्यकता न रहेगी तो यथास्थिति उक्त वन भूमि अथवा उसका ऐसा भाग जो प्रस्तावक विभाग के लिए आवश्यक न रहे, वन विभाग, उ0 प्र0 सरकार को किसी प्रतिकर का भुगतान किये यथास्थिति वापस प्राप्त हो जायेगी।
- 15- भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफसी(पीटी), दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-IA-II(I) दिनांक 02-12-2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने, यदि लागू है तो (if applicable) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन वन्य जीव की दृष्टि से स्टैण्डिंग कमेटी आफ नेशनल बोर्ड आफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया जाय।
- 16- उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, लखनऊ अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/शर्तों, जो वनों के संरक्षण, सुरक्षा व विकास के लिए आवश्यक हो, का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- 17- राज्य सरकार द्वारा जारी अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय के अनुश्रवण के अधीन होगी।
- 18- प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा यह अण्डरटेकिंग देना होगा कि यदि इस अवधि की एन0पी0वी0 संशोधित होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण को जमा करना होगा।
- 19- प्रश्नगत परियोजना राष्ट्रीय उद्यान/वन्य जीव विहार/प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अवस्थित है। यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।
- 20- सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि प्रश्नगत वन भूमि न्यूनतम आवश्यकता पर आधारित है।
- 21- प्रश्नगत परियोजना के प्रारम्भ के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत समस्त दावों का निस्तारण किया जा चुका है।



- 22- समस्त वैधानिक / प्रशासनिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- 23- उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / मा0 न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।
- 24- इस सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग को भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11-07-2014 व 21-08-2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- 25- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्रांक- 11-9/98 एफसी दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू संदर्भित डिजिटल डाटा / मानचित्र प्रस्तुत करें। जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (SHP) फाइल में दर्शाया गया हो।
- 26- प्रस्ताक द्वारा भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के परिपत्र संख्या एफ0.एन0 - 11-268/2014 एफसी दिनांक 11-07-2014 में नये दिशा निर्देश के अनुसार परियोजना के ले आउट प्लान प्रस्तुत करना होगा।
- 27- प्रस्तावक के व्यय पर वन विभाग द्वारा 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख रखाव हेतु आवश्यक धनराशि ₹0 30921/- (₹0 तीस हजार नौ सौ इक्कीस मात्र) एन0आई0सी0 के माध्यम से ई-पेमेन्ट के चालान के साथ जमा किया जायेगा।
- 28- प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति एवं प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।
- 29- उपरोक्तानुसार निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तों/प्रतिबन्धों के अनुपालनार्थ प्रभागीय निदेशक द्वारा स्थलीय निरीक्षण कराकर सत्यापन सम्बन्धी प्रमाण पत्र के साथ ही अनुपालन आख्या प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाय। तदोपरान्त सुसंगत प्रमाण पत्र के आधार पर ही विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी। उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट अनुपालन आख्या निम्न निर्धारित प्रपत्र में समस्त शपथ पत्रों / अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जाय। अन्यथा अनुपालन आख्या मान्य नहीं होगी।

| Observ No | Observation Of GOI | Reply |
|-----------|--------------------|-------|
|-----------|--------------------|-------|



(जावेद अख्तर)

प्रभागीय निदेशक

सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी

संख्या / दिनांकित।

- 1- प्रतिलिपि, क्षेत्रीय वन अधिकारी, रामसेनहीघाट को इस आशय के साथ प्रेषित कि प्रयोक्ता एजेन्सी को तब तक ऐसा कोई कार्य न करने दिया जाय। जब तक भारत सरकार से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न हो जाय। उक्त के क्रम में यह भी निर्देशित करना है कि वर्तमान समय में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त क्षेत्र का निरीक्षण कर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें कि उपरोक्तानुसार सभी शर्तों का अनुपालन याचक विभाग द्वारा किया जाना सम्भव है तथा अद्यतन स्थित उपरोक्तानुसार ही है। याचक विभाग द्वारा किसी प्रकार का वन संरक्षण अधिनियम- 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है जिससे अनुपालन आख्या के समय अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सके। आप द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप संलग्न है। कृपया शीघ्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

(जावेद अख्तर)

प्रभागीय निदेशक

सा0 वा0 वन प्रभाग, बाराबंकी